राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांकः– प.6(232)परि/कर/मु./2014/ 59672-79 जयपुर, दिनांकः 14/10/2014

कार्यालय आदेश 30/2014

विषय :– वाहन डीलर्स द्वारा कम कीमत के विक्रय बिल जारी किये जाने से हो रही राजस्व हानि के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि गैर परिवहन यानों के लिए राजस्थान मोटरयान नियम, 1951 के नियम 42 एवं अधिसूचना क्रमांक एफ.(179)परि/कर/मु./1क्यू. दिनांक 14.07.2014 के अनुसार Ex. Showroom Price पर एक बारीय कर का निर्धारण एवं आरोपण किया जाता है। मुख्यालय के ध्यान में लाया गया है कि कतिपय वाहन डीलरों के द्वारा जारी किए गये बिल में वाहन की कीमत वाहन निर्माता द्वारा राजस्थान राज्य के लिये निर्धारित की गई Ex. Showroom Price से कम दर्शाई जा रही है, इससे राजस्व की हानि हो रही है तथा इस संबंध में ऑडिट आक्षेप भी बने है।

राजस्थान कराधान अधिनियम, 1951 में उल्लेखित Ex-Showroom Price का आशय वाहन निर्माता द्वारा राजस्थान राज्य के लिए निर्धारित Ex-Showroom Price से है जो प्रायः वाहन निर्माता कंपनी की वेबसाईट पर भी उपलब्ध रहती है।

क्रय बिल में दर्शाई गई वाहन की वह कीमत जिसमें सभी कर व उदग्रहण सम्मिलित है, वाहन की क्रय कीमत होती है। इस क्रय कीमत पर वाहन के कर की गणना की जाती है। डीलर द्वारा वाहन के कम कीमत के विक्रय–बिल जारी किए जाने से कर गणना प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है।

अतः वाहन निर्माता कंपनी से राज्य के लिए निर्धारित की गई संबंधित वाहन की कीमत से कम राशि के बिल वाहन डीलर्स द्वारा जारी किए जाने की प्रवृति पर प्रभावी रोक लगाई जावे, जिससे राजस्व हानि की संभावना नही रहे।

समस्त पंजीयन/कराधान अधिकारी इस संबंध में नियमानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

(राजेश्वर सिंह)
प्रमुख शासन सचिव एवं
परिवहन आयुक्त

क्रमांकः– प.6(232)परि/कर/मु./2014/ 59672-79 जयपुर, दिनांकः 14/10/2014

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव एवं परिवहन आयुक्त।
2. समस्त अधिकारीगण, मुख्यालय।
3. समस्त अपर परिवहन आयुक्त।
4. समस्त प्रादेशिक/अतिरिक्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी।
5. समस्त जिला परिवहन अधिकारी।
6. सिस्टम एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, मुख्यालय को वेबसाईट पर अपलोड़ करने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।

13/10/2014

अपर परिवहन आयुक्त (कर)